<u>न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः— कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 196/2019 **दायर दिनांकः 23/12/2019**

उनवान

1. कृष्णचन्द्र उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री बद्री लाल जाति मीणा निवासी डडवाडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0</u>

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

आदेश दिनाक :19/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल डडवाडा तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 1 की ख0नं0 14 कुल 1 किता की 1.58 है0 दर्ज खाता चली आ रही है, जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 की नकल वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। उक्त भूमि की इन्तकाल खोलते वक्त सहवन से वादी का नाम उक्त जमाबन्दी में कृष्णचन्द्र के स्थान पर किशन चन्द्र दर्ज कर दिया जबकि उसका सही नाम कृष्ण चन्द्र था वादी का सही नाम कृष्ण चन्द्र है, फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, एवं राशन कार्ड में वादी का नाम कृष्ण चन्द्र ही दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम किशन चन्द्र है। फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में वादी का नाम कृष्ण चन्द्र दर्ज होने से वादी को काफी परेशानी का सामना करना पडता है। बैंक आदि से ऋण प्राप्त नही कर सकता है। किसी की जमानत आदि देने में भी असमर्थ है। वादी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किशन चन्द्र के स्थान पर कृष्ण चन्द्र दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होने साफ मना कर दिया और माननीय न्यायालय मे दावा पेश करने की

हिदायत दी है। बिना सहायता न्यायालय वादी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम किशन चन्द्र के स्थान पर कृष्ण चन्द्र दर्ज नही करा सकेगा जिससे वादी को अनेकानेक परेशानियों का सामना करना पडेगा ऋण आदि प्राप्त नही कर सकेगा जिससे आर्थिक रूप से पिछड जावेगा। इस कारण वादी इस आशय की घोषणा करा पाने का अधिकारी है कि उसका नाम किशन चन्द्र के स्थान पर कृष्ण चन्द्र राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी किशन चन्द्र उर्फ कृष्ण चन्द्र दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद घोषणा नाम संशोधन का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू का प्रतिवादी बनाया जाकर यह वाद पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम किशन चद्र दर्ज होने एवं वादी द्वारा प्रतिवादी से किशन चन्द्र के स्थान पर कृष्ण चन्द्र दर्ज करने का निवेदन करने एवं उनके द्वारा दिनांक 10.12.2019 को साफ मना करने पर अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त रिकार्ड एवं पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावें:—

(अ) राजस्थान रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम किशन चन्द्र के स्थान पर कृष्ण चन्द्र घोषित किया जाकर जमाबन्दी में किशन चन्द्र के स्थान पर कृष्ण चन्द्र दर्ज किया जावे विकल्प में निवेदन है कि किशन चन्द्र उर्फ कृष्ण चन्द्र दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

(ब) अन्य न्यायाचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 के बयान लेखबद्ध किये, तथा रिकार्ड EXP करवाया गया।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि रिकार्ड अनुसार वादी का खाते में नाम किशन चन्द्र के स्थान पर रिकार्ड अनुसार सही नाम कृष्ण चन्द्र अंकित किया जावें

प्रस्तुत रिकार्ड भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र में कृष्ण चन्द्र नाम अंकित है।

रिकार्ड के आधार पर वादी का सही नाम खाते में दर्ज किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—ःक्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम डडवाडा की खाता संख्या 9 किता 1 रकबा 1.58 है0, रहन एस0बी0आई0 अटरू शामलाती खाते में दर्ज खातेदार किशनचन्द्र के स्थान पर कृष्ण चन्द्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 196/2019

उनवान

1. कृष्णचन्द्र उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री बद्री लाल जाति मीणा निवासी डडवाडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–

वादी:– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादी:– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम डडवाडा की खाता संख्या 9 किता 1 रकबा 1.58 है0, रहन एस0बी0आई0 अटरू शामलाती खाते में दर्ज खातेदार किशनचन्द्र के स्थान पर कृष्ण चन्द्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.01 14:55:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: